तारीख/हुक्म हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 129/2016

सरिता बनाम विनोद

दिनांक–05.12.2025

अधिवक्ता वादी श्री सर्वेश सारस्वत व अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री प्रमोद कुमार मोदी, श्री रजनीश महला व श्री जय कौशिक उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी विवेक पौद्दार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर उभयपक्षों को सुना गया।

बहस के दौरान प्रार्थी/प्रतिवादी विवेक पौद्दार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि साक्षी की परीक्षा के दौरान दिखाकर पूछा गया फोटो अभिलेख पर नहीं था जिससे यह पता नहीं चल सकता है कि किस फोटो के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख के बाहर की किसी वस्तु दिखाकर साक्षी को प्रश्न पूछने का प्रयास किया जा रहा है। अतः न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति व प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण हेतु प्रश्नगत आदेश दिनांक 24.11.2025 की आपत्ति पर पुनः विचार कर स्पीकिंग सकारण आदेश नये सिरे से पारित किया जावे।

उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अधिवक्ता अप्रार्थी /वादी द्वारा हस्तगत आवेदन को विधिसम्मत तथ्यों पर आधारित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि साक्षी की परीक्षा के दौरान प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा मौखिक रूप से उपर्युक्त आपत्ति न्यायालय के समक्ष पेश की गयी थी जिसको न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था तथा वर्तमान में उपर्युक्त आपत्ति को ही लिखित में हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Malleeswari Vs K. Suguna 2025 INSC 1080 के न्यायिक विनिश्चय में विहित किया गया है कि रिव्यू पीटिशन अंतर्गत आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पूर्व में विनिश्चित किये गये ऑब्जेक्शन पर पुनः तर्क पेश किये जाने के लिये पेश नहीं की जा सकती है तथा हस्तगत आवेदन में वर्णित आक्षेप के समय पूर्व में न्यायालय द्वारा किये गये आदेश के संबंध में भी महत्वपूर्ण है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किरोडीलाल बनाम छितरमल सिविल रिट पीटिशन नंबर 17987/2013 निर्णय दिनांक 08.11.2013 में Conforonting के उद्देश्य से क्रॉस एग्जामिनेशन के समय दस्तावेज पेश किये जाने को अनुज्ञान किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

इसके पश्चात् प्रार्थी/प्रतिवादी विवेक द्वारा प्रस्तुत आवेदन वास्ते प्रार्थी के बयान पूर्ण करवाने व एक अन्य प्रार्थना पत्र इसी रूप में पेश किया गया जिसकी प्रतिलिपि वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त कर आवेदन का जवाब पेश किया गया जिसके पश्चात् उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

बहस के दौरान प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी विवेक द्वारा उसके मुंबई में

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अह… जो इस हुक्म की त… में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 129/2016

सरिता बनाम विनोद

निवास करने तथा बयानों हेतु दस–ग्यारह दिनों के लिये यहां आया हुआ है एवं दिनांक 07.12.2025 को मुंबई में निजी मित्र के परिवार में विवाह में शामिल होना है इसलिए प्रार्थी की परीक्षा आज ही पूर्ण करवायी जावे। जबकि अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा पत्रावली में परीक्षा के दौरान स्वयं प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कारण परीक्षा पूर्ण नहीं होने तथा अप्रार्थीगण/वादीगण के आज सीनियर अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होने किन्तु मंगलवार की दिनांक 09.12.2025 को सीनियर अधिवक्ता के जयपुर से उपस्थित होने पर साक्षी की परीक्षा कर लिये जाने के आधार पर हस्तगत आवेदन को अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि साक्षी की परीक्षा के दौरान दिनांक 24.11.2025 को की गयी आपत्ति का निस्तारण किये जाने के बाद प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 25.11.2025 के कारण तत्समय साक्षी की परीक्षा पूर्ण नहीं हो सकी है एवं क्योंकि दोनों सीनियर अधिवक्तागण द्वारा प्रत्येक दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर सप्ताह में सोमवार व शुक्रवार को उपस्थित होते हैं इस कारण पत्रावली टारगेटेड होने से दिन–प्रतिदिन नियत होने के बावजूद पत्रावली में परीक्षा पूर्ण नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में यद्यपि आज अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा साक्षी को परीक्षित नहीं किया गया है किन्तु न्यायहित में साक्षी की परीक्षा हेतु एक अवसर दिया जाना उचित पाया जाने से पत्रावली को दिनांक 06.12.2025 को नियत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 06.12.2025 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.